<u>CR-1747/22</u>

<u>05.01.2023</u> परिवादी की अनुपस्थिति है। वर्तमान वाद परिवादी शीला देवी द्वारा सरविंद सहनी एवं अन्य के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323,304,498ए एवं 3/4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत लाया गया है। परिवादी द्वारा अपने वाद के समर्थन के संबंध में एक भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

परिवादी पिछली कई तिथियों से अनुपस्थित चल रहे है और को साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। जिससे ऐसा प्रतीत होता है ,कि उनको अपने वाद के संबंध में अब कोई अभिरुची शेष नहीं रह गयी है। अतः न्यायाहीत में वर्तमान वाद को दं0प्र0स0 की धारा 203 के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें। ले0

अनु0न्या0दण्डा0